175

संख्या–1127/XLI-1/2013–112/11

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग — देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, 2013

विषयः– **विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत राजकीय पालीटैक्निक, मूनाकोट (पिथौरागढ़) के अनावासीय भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–181/नि0प्रा0शि0/नये–पॉली0/2013–14, दिनांक 15.07.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–324/XLI-1/2013–112/11, दिनांक 29.03.2013 के अधीन निर्गत की गयी स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2012–13 में नहीं हो पाने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2013 को निरस्त करते हुये, वित्तीय वर्ष 2013–14 में विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय पालीटेक्निक, मूनाकोट (पिथौरागढ़) के अनावासीय भवन निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लि0 पिथौरागढ़ द्वारा गठित विस्तृत आगणन ₹306.35 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत आगणन सिविल कार्य हेतु ₹286.90 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹15.99 लाख अर्थात कुल ₹302.89 लाख (रूपये तीन करोड़ दो लाख उन्नासी हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, प्रथम किश्त के रूप में ₹100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय से पूर्व प्रकरणाधीन कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने एवं उक्त के विभाग के नामे होने की कार्यवाही अवश्य पूर्ण कर ली जायेगी। व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य सुसंगत नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(2) नीचे प्रस्तर–3 में उल्लिखित लेखाशीर्षक से धनराशि ₹100.00 लाख आहरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि शासनादेश संख्या–324/XLI-1/2013–112/11, दिनांक 29.03.2013 के अधीन उक्त कार्य के लिये अवमुक्त धनराशि का आहरण नहीं किया गया हो एवं इस सम्बन्ध में आहरण बिल के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न कर दिया जायेगा।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।

(5) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करनी आवश्यक होगी।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(7) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किा जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(9) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरादायी होंगे।

(10) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(11) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य करा लिया जायेगा।

(13) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्ता शिक्षण के सम्बन्ध में नियोजन विभाग से समन्वय कर तद्नुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन की एक प्रति आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 के के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्प–00–आयोजनागत–03–राजकीय बहुधंधी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन का निर्माण/सुदृढ़ीकरण–24–वृहत निर्माण कार्य मद" के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–81(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनॉक 25 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कोषाधिकारी, उप कोषागार, श्रीनगर(गढ़वाल)।
7. परियोजना प्रबन्धक,उत्तराखण्ड पेयजल निगम निर्माण इकाई पिथौरागढ़।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस.एस.टोलिया)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - 1127/XLI-1/2013-112/11

अलोटमेंट आई डी - SI311110168

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक -18-Nov-2013

HOD Name - Director Technical Education (4110)

1: लेखा शीर्षक 4202 - शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02 - तकनीकी शिक्षा

104 - बहुशिल्प 03 - राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन

00 - राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन क

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - पूंजी निर्माण कार्य	35865000	10000000	45865000
	35865000	**10000000**	**45865000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 10000000